

तारीख
हुकम

18.5.21

उभय पक्ष उपरि... पीठारमिन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / कदमि...
अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य... बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 30... को पेश हो।

6.12.21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अभियान 2021 के
गाम पचापंत स्ट्रेका में पेश हुई तद्विषय मांडल
से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.पठ किया गया अपा...
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शासित
पत्रावली किया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्वपण से लिखा
जाकर शा.पठ किया गया। पत्रावली केवल
शुभार होकर नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना

पण्डित

प्रशासन गाँवों के सन जायमान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पोठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 195/20 प्रा.पत्र

1- श्री लख्क सो. गुलाब शेखर निवासी - भगतपुरिया तहसील - मांडल (भीलवाड़ा) --प्रार्थी

बनाम

1- श्री शेखर सो. शमा जाट निवासी - भगतपुरिया तहसील - मांडल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण
(सहोक्ति प्रकाश सिंह)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 6.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....भगतपुरिया.....पटवार हल्का.....रहेका.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....39.....कुल किता01.....रकबा.....04 बीघा हेक्टेयर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....10.11.20.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....भगतपुरिया) पटवार हल्का.....रहेका.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....39.....कुल किता01.....रकबा.....04 बीघा हेक्टेयर.....भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....पीयास.....को500/-/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमाभिसार पत्थरगद्दी की जाकर पालन रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021